

जनता दुर्घटना बीमा योजना की बीमित धनराशि 50 हजार से बढ़ाकर 03 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव

**इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से संचालित योजना
में संशोधन, विभिन्न बीमित धनराशि के लिए वार्षिक प्रीमियम भी
निर्धारित**

लखनऊ : 29 सितम्बर, 2026

प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जे.पी.एस. राठौर ने कहा कि प्रदेश की सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों तथा आम जनता को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित जनता दुर्घटना बीमा योजना को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में योजना के अंतर्गत बीमित धनराशि को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 03 लाख रुपए तक किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से संचालित जनता दुर्घटना बीमा योजना में संशोधन किया जा रहा है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपए की बीमित धनराशि के लिए 9.40 रुपए वार्षिक प्रीमियम निर्धारित है। वर्तमान समय में 50 हजार रुपए की बीमित धनराशि कम होने को देखते हुए इसे बढ़ाने का निर्णय प्रस्तावित किया गया है।

श्री राठौर ने बताया कि संशोधित व्यवस्था के तहत 50 हजार रुपए से लेकर अधिकतम 03 लाख रुपए तक की बीमित धनराशि के लिए अलग-अलग वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार 50 हजार रुपए की बीमित धनराशि पर 9.40 रुपए, एक लाख रुपए पर 18.80 रुपए, डेढ़ लाख रुपए पर 28.10 रुपए, दो लाख रुपए पर 37.40 रुपए, ढाई लाख रुपए पर 46.75 रुपए तथा तीन लाख रुपए की बीमित धनराशि पर 56 रुपए वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है।

श्री राठौर ने बताया कि योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कुल बीमित धनराशि का 100 प्रतिशत, स्थायी एवं पूर्ण 100 प्रतिशत विकलांगता होने पर 100 प्रतिशत तथा अस्थायी एवं आंशिक 50 प्रतिशत विकलांगता होने पर 50 प्रतिशत बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि संशोधित प्रीमियम दरें आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी सहकारी संस्थानों, जिला सहकारी बैंकों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।